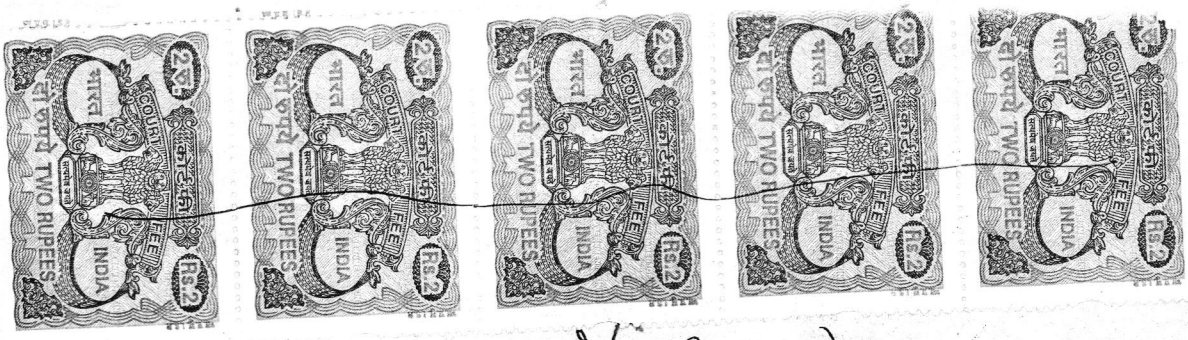

राजस्व बोर्ड ग्वालियर केम्प

न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, सागर (म0प्र0)

R. 2196-III/14

१-- विजय कुमार वल्द मुन्नालाल गुप्ता

२- सतीश कुमार वल्द मुन्नालाल गुप्ता

३- स्व0 संजय कुमार वल्द मुन्नालाल गुप्ता

४- हरि नारायण वल्द मुन्नालाल गुप्ता

सभी निवासी सदर बाजार, सागर तह0व जिला सागर

== == पुनरीक्षणकर्ता।

आवेदकगण

आज दिनांक 18/7/14 को अभि. विजय कुमार द्वारा पेश ... 18/7/14

बनाम

हरिओम केशरवानी वल्द जुगल किशोर केशरवानी

निवासी सदर बाजार, सागर तह0जिला सागर == == अनावेदक

प्र0क्रमांक

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५0 म0प्र0भू0रा0सं0

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय सागर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक २१-अ।७0 वर्ष २0१२-१३ नाम पदाकार बाबत 000 हरिओम बनाम विजय कुमार व अन्य मे पारित आदेश दिनांक २२।४।१४ से दुःखी होकर यह रिवीजन प्रस्तुत है -

पुनरीक्षण के संक्षिप्त तथ्य एवं आधार

१- यहकि, पुनरीक्षणकर्ता के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक २२।४।0१४ के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसे माननीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक ३0।६।0१४ को क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त किया है, जिसके उपरांत माननीय के समक्ष यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है।

... ... बहेरियाट साहनी में

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(3)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2196-III/2014 ... जिला ....सागर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-2-15 सागर कैंप	आवेदक अधि॰ श्री अमित चौकसे उप॰। उन्हें ग्राह्यता पर सुना। प्रकरण ग्राह्यता पर आदेशार्थ। प्रशासकीय सदस्य	
4-2-15 सागर कैंप	आवेदक अधि॰ द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा तहसीलदार तह॰ व जिला सागर के प्र॰क्र॰ 21/अ-70/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 22-4-14 की सत्यप्रतिलिपि व अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 2- तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक श्री हरिओम केशरवानी का नाम दर्ज है। यदि इससे आवेदक असंतुष्ट है तो उसे गलत सिद्ध करने का भार भी उन्हीं का है तथा ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर तहसील न्या॰ में प्रचलित प्रकरण में आवेदक के पास उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन अस्वीकृत करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधार हीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	

[कृ. प. उ.